

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), अलीगढ़।

अन्तिम आख्या वाद संख्या 516/2019

शिवराज सिंह

बनाम

रोशन सिंह

अपराध संख्या 48/2018

धारा 138 विद्युत अधिनियम

थाना बरला, अलीगढ़

दिनांक: 08-02-2020

आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। परिवादी की ओर से विद्वान विभागीय अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क आदि जमा कर दिया गया है। विद्युत विभाग की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है, बल्कि प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की है। इस प्रकार अन्तिम आख्या विधि अनुसार योजित की गई है। अतः स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली दाखिल अभिलेखगार हो।

दिनांक 08.02.2020

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), अलीगढ़।